

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०
५/३/२५	<p>पंजाबनी पेज ६७) बाकी अतिरिक्त अतिरिक्त / काद-वाट अलग  लपकई इति परतु कोठे उपस्थित नही / काद अलग-राखी,  अलग पेजी में अतिरिक्त दिता जाता है। पंजाबनी लेखन अलग  संख्या नम्बर से काद से तथा काद अतिरिक्त लेख अलग से  सं</p>

